NO/PA/Dir./P. H./ 234
13 FEB 2012

राजस्थान सरकार
गृह(ग्रुप–5)विभाग

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
13 FEB 2012
1599

क्रमांक : प.19(5)गृह–5/2012 जयपुर, दिनांक : 09–02–2012

–:: अधिसूचना ::–

यतः राज्य सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि जयपुर महानगर क्षेत्र में बहुतायत संख्या में "हुक्का बार" संचालित है। इन "हुक्का बार" द्वारा उपलब्ध करवायी जा रही धूम्रपान सामग्री में "निकोटिन" जहरीला पदार्थ होता है, जो मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारण एवं खतरनाक है। इन "हुक्का बार" में धूम्रपान हेतु युवक व अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त स्कूल/कॉलेज छात्र–छात्राऐं, बच्चें भी जाते है, जिनको "निकोटिन" जैसे जहरीले पदार्थ द्वारा हानिकारण धूम्रपान का उपभोक्ता बनाया जा रहा है। ये "हुक्का बार" विशेषकर नई पीढ़ी के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास पर विपरीत प्रभाव डाल रहे है। लोगों विशेषकर युवापीढ़ी को इन अवैध रूप से संचालित "हुक्का बार" के हानिकारक धूम्रपान से बचाने के लिए लोकहित में इन "हुक्का बार" को सम्पूर्ण जयपुर महानगर क्षेत्र में प्रतिबन्धित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

यतः राज्य सरकार इससे सन्तुष्ट है कि जयपुर महानगर क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार को प्रतिबन्धित किये जाने हेतु पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रख्यापित आदेश क्रमांक : पु.आ.ज./2011/27602 दिनांक 09–12–2011 द्वारा लागू किये गये प्रतिबन्ध की अवधि को आगे बढ़ाया जाना आवश्यक है।

अतः पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर, जयपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रख्यापित आदेश क्रमांक : पु.आ.ज./2011/27602 दिनांक 09–12–2011 की अवधि एतद्द्वारा आगामी छः माह तक बढ़ायी जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
–Sd–
(गीता सिंहदेव),
शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. अति. महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर, जयपुर को उनके आदेश पत्र क्रमांक: पु.आ.ज./2011/27602 दिनांक 09–12–2011 के क्रम में।
7. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर।
8. समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर महानगर, जयपुर।
9. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 09–02–2012 के आसाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सीडी।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव,
गृह (सुरक्षा) विभाग